न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—17/2023/223 आर.टी.एक्ट (2023/17)

1. विश्राम पुत्र देवी
2. सम्पत पुत्र देवी
3. सुमित्रा पुत्री देवी
4. राना पुत्री देवी

समस्त जाति भील, निवासी संजयनगर, बरल द्वितीय, तहसील बिजयनगर, जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. राधा पत्नी पोलू
2. रामचंद्र पुत्र पोलू
3. नोरत पुत्र पोलू
4. लाली पुत्री पोलू
5. कौशल्या पुत्री पोलू
6. नोसर पुत्री पोलू
7. सोरत पुत्र तेजू

समस्त जाति भील, निवासी बरल द्वितीय, तहसील बिजयनगर, जिला अजमेर।

8. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार ,बिजयनगर जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 07.12.2022 उपखण्ड अधिकारी,मसूदा राजस्व वाद संख्या 133/2022 (2022/333)

उपस्थितः—

1. श्री जी. एस. लखावत, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री गुमान कुमावत, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6.
3. श्री एन0 एस0 राजावत, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 07.
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 08.

निर्णय

दिनांकः—18.05.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 133/2022 (2022/333) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.12.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण के पिता देवी वल्द मोडा ने राजस्व ग्राम बरल द्वितीय तहसील बिजयनगर में स्थित

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

कृषि भूमि खसरा संख्या 878 रकबा 5–10–10 बीघा में विक्रेता गोकल व सोरत पुत्रान तेजू का समस्त हक, हिस्सा बिल एवज मूल्यवान प्रतिफल के क्रय किया तथा इस बाबत पंजीकृत विक्रय पत्र उप –पंजियक बिजयनगर के समक्ष प्रस्तुत किया, 26.05.1993 को पंजीबद्ध किया गया, इसी दौरान प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 6 के पिता पोलू ने विवाद उत्पन्न किया तथा खसरां संख्या 878 साबिक खसरा संख्या 715 बाबत शेष 1/2 हिस्से के हिस्सेदार रमेश गोदपुत्र हरजी के हिस्से को विवादित किया, तथा इस बाबत एक राजस्व वाद संख्या 99/96 प्रस्तुत किया। इस कारण अभिलेखों में प्रार्थीगण के पिता के नाम वांछित दुरूस्ती बाबत नामांनकरण पारित नहीं किया जा सका, तत्पश्चात उक्त वाद में राजीनामा सोरत एवं पोलू द्वारा 10.03.98 को किया गया, जिसे न्यायालय द्वारा 21.3.98 को तस्दीक किया गया एवं गोकुल ने बाद में इस बाबत राजीनामा प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 10.11.98 को तस्दीक किया गया तथा रमेश पुत्र हरजी के 1/2 हिस्से बाबत विवाद कारण होने के उपरांत पोलू ने पुनः एक वाद उपखण्ड अधिकारी ब्यावर के न्यायालय में प्रस्तुत किया। उक्त वाद संख्या 56/99 पोलू बनाम गोकुल था, जिसे बाद में पोलू ने पुनः ले लिया इसके पश्चात उपखण्ड अधिकारी मसूदा के न्यायालय में पोलू ने राजस्व वाद संख्या 122/2004 पोलू बनाम रमेश का प्रस्तुत किया, उक्त वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का था, जिसे पोलू द्वारा 5.12. 2014 को राजीनामा किया गया। इसी दौरान पोलू द्वारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र वर्तमान अपील में निहित भूमि बाबत उपखण्ड अधिकारी मसूदा के न्यायालय में प्रस्तुत किया उक्त प्रकरण संख्या 34/2014 को 1.5..2015 को स्वयं पोलू ने विड्रो कर लिया तथा 15.5.2015 को विड्रो किए जा चुके प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिए जोन बाबत एक आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसे न्यायालय द्वारा 12.6.2015 को निरस्त किया एवं विड्रो किए जाने के आवेदन को स्वेच्छिक होना मानकर 1.5.2015 को प्रकरण विड्रो किए जाने के आदेश को विधि सम्मत माना। विक्रय पत्र वर्ष 1993 में पंजीबद्ध होने के उपरांत पोलू द्वारा अपीलार्थीगण के हक, हिस्से की भूमि बाबत अभिलेखों में किए जाने वाले परिवर्तन को लगातार मुकदमेबाजी करते हुए विलंम्बित किए रखा। उक्त समस्त दस्तावेजो के अनुसरण में किसी न्यायालय में कोई विवाद लम्बित नहीं होने की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 5.5. 2015 को प्रार्थीगण के पक्ष में नामांतकरण संख्या 2373 ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध पोलू ने एक अपील उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के न्यायालय में प्रस्तुत की तथा उपखण्ड अधिकारी, मसूदा ने उक्त अपील का निस्तारण दिनांक 29.7.2015 को करते हुए नामांतकरण संख्या 2373 दिनांक 5.5.2015 को निरस्त कर प्रकरण पुनः जांच हेतु तहसीलदार, बिजयनगर को प्रतिप्रेषित कर दिया। जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने अपील संभागीय आयुक्त, अजमेर के न्यायालय में प्रस्तुत की, संभागीय आयुक्त अजमेर ने उक्त अपील का निर्णय दिनांक 16.4.2021 को करते हुए खारिज कर दी। जिसके विरूद्ध एक नजरसानी याचिका प्रस्तुत की जो वर्तमान में विचाराधीन है, लेकिन नजरसानी याचिका के लम्बित रहते प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 6 ने उपखण्ड अधिकारी मसूदा के न्यायालय में एक नया वाद धारा अंतर्गत धारा 88, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं 136 भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर दिया, उक्त वाद में केवल सोरत पुत्र तेजू को प्रतिवादी संयोजित किया गया, जबकि अपीलार्थीगण प्रभावित पक्षकार होते हुए उन्हें पक्षकार संयोजित नहीं किया गया, उपखण्ड अधिकारी

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

मसूदा, के न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 सोरत पुत्र तेजू, द्वारा इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत करते हुए वादी का वाद डिक्री करने की अनुमति प्रदान कर दी, उपखण्ड अधिकारी ने इन समस्त तथ्यों पर विचार नहीं करते हुए वादी/प्रत्यर्थीगण का वाद दिनांक 7.12.2022 को डिक्री कर दिया। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 133/2022 (2022/333) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.12.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण पीडित व व्यथित पक्षकार है प्रार्थीगण के पिता द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से भूमि क्रय की थी, पोलू द्वारा अभिलेख को विवादित रखा, इस कारण समुचित इंद्राज नहीं हो सके, वर्तमान प्रकरण में वर्णित भूमि में प्रार्थी के मूल्यवान अधिकार निहित है, इस कारण प्रार्थीगण आवश्यक पक्षकार है, प्रार्थीगण के हक अधिकार समाप्त नहीं किए जा सकते है प्रार्थी को आदेश दिनांक 7.12.2022 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने का पूरा अधिकार है। अधीनस्थ न्यायालय में दायर किए गए वाद में प्रार्थीगण आवश्यक पक्षकार थे, तथा निर्णय व डिक्री दिनांक 7.12.2022 के विरूद्ध प्रार्थीगण को अपील की अनुमति नहीं दी जाती है तो प्रार्थीगण के अधिकार सम्पूर्ण रूप से प्रभावित होते है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थी/अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांटस ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के न्यायालय में पोलू के वारिसान द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र तथ्यों को छिपाते हुए जानबूझ कर पूर्व में निस्तारित सभी प्रकरणों बाबत तथ्य छिपा कर प्रतिवादी सोरत के साथ दुरभि संधि कर वाद प्रस्तुत किया, जो पूर्णतया मिलीभगत से प्रस्तुत तिकया हुआ वाद है तथा इसी क्रम में उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के समक्ष अपीलार्थीगण को पक्षकार नहीं बनाए जाने से समस्त तथ्य अभिलेख पर नहीं आ सके, इस कारण निर्णय दिनांक 7.12.2022 अपील के माध्यम से निरस्त किए जाने योग्य है। उपखण्ड अधिकारी के समक्ष तथ्य को पोलू के वारिसान द्वारा छिपाया गया जिसमें स्वयं पोलू द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 34/2014 में पोलू ने एक आवेदन प्रस्तुत कर पक्षकारो में समझौता होने के कारण आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहने के कारण उक्त प्रकरण विड्रो किया गया था, इसके अलावा एक राजस्व वाद संख्या 122/2004 दिनांक 5.12.2014 को स्वयं पोलू द्वारा विड्रो किया गया था, इन समस्त तथ्यों से स्पष्ट है कि जब पोलू ने स्वयं अभिलेखों को सही मानकर प्रकरणों को विड्रो किया, तथा इसके बाद में पोलू ने पुनः कार्यवाही करते हुए नामांतकरण संख्या 2373 को अपील के माध्यम से चुनौति दी, जिसके विरूद्ध प्रकरण संभागीय आयुक्त न्यायालय में वर्तमान में लंम्बित है, जिससे स्पष्ट है कि जिस प्रकार से वाद प्रस्तुत किया गया वस्तुतः समस्त तथ्यात्मक स्थिति न्यायालय के समक्ष नहीं आने से उपखण्ड अधिकारी मसूदा के न्यायालय में पक्षकारान ने दुरभि संधि कर न्यायालय को मुगालता देते हुए अभिवचन किए, तथा वादी एवं प्रतिवादी के अभिकथनों के आधार पर जो निर्णय पारित किया वह निरस्त किए जाने योग्य है। वाद पत्र में वादी एवं प्रतिवादी द्वारा असत्य कथन अंकित किए गए, जबकि वास्तव में गोकल एवं सोरत द्वारा देवी

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

पुत्र मोडा के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित किया गया था, जो विक्रय–पत्र दिनांक 26.05.1993 का पंजीकृत है, जिसमें स्वयं गोकल ने अपना हिस्सा बेचान किया था, परंतु इस तथ्य को छिपा कर गोकल पुत्र तेजू को नाऔलाद फौत होना कथन कर उसका हिस्सा सोरत के नाम आना वर्णित किया गया है, तथा पंजीकृत विक्रय–पत्र के तथ्यों को उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के न्यायालय में अंकित प्रतिवादी सोरत द्वारा गलत रूप से अभिवचन अंकित कर जो कथन किए गए वह किसी भी प्रकार से मानने योग्य नहीं है तथा सारवान तथ्यों को छिपाते हुए जो कार्यवाही की गई है वह विधि विधान के प्रतिकूल है तथा अपीलार्थीगण के हक अधिकारों के प्रतिकूल होने से अपीलार्थीगण निर्णय व डिक्री दिनांक 7.12.2022 निरस्त किए जाने योग्य है। स्वयं पोलू ने उसका नाम अभिलेखों में अंकित नहीं होने के कारण उसे सही मानकर एक इकरारनामा भी अपने जीवनकाल में इस बाबत किया कि यदि कभी उसका नाम भी अभिलेखों में अंकित हो जाता है तो वह देवी के वारिसान के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित करवा देगा तथा पोलू द्वारा किए गए उक्त इकरारनामा व सारी विधिक एवं तथ्यात्मक स्थिति से पोलू के वारिसान भी पाबंद है तथा इससे स्पष्ट है कि वाद कारण ही उत्पन्न नहीं हुआ ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 7.12.2022 निरस्त किएं जाने योग्य है। दीवानी न्यायालय में एक वाद हरदेव व अन्य द्वारा विवादित भूमि बाबत पूर्व में प्रस्तुत किया गया था उक्त वाद सिविल न्यायालय वर्ग प्रथम, बिजयनगर के न्यायालय में चला था, उक्त वाद में पोलू प्रतिवादी संख्या 13 के रूप में था, तथा जो जवाब प्रस्तुत किया उसके पैरा संख्या 9 में देवी पुत्र मोडा के पक्ष में किए गए बेचान को विधिपूर्ण होने बावत स्वीकृति दी तथा कब्जा भी देवी पुत्र मोडा का होने का तथ्य अंकित किया, इस प्रकार स्वयं पोलू अपने कथनों एवं अभिवचनों से पाबंद था, इस प्रकार पोलू के वारिसान को वर्तमान वाद प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं था। अपीलार्थी का विवादित भूमि में विधिपूर्ण हक अधिकार निहित है तथा वर्तमान वाद में अपीलार्थीगण आवश्यक पक्षकार है इसके बावजूद भी अपीलार्थीगण को पक्षकार संयोजित किए बिना जो कार्यवाही की गई व जो वाद प्रस्तुत किया गया वह चलने योग्य नहीं था इसके बावजूद भी जो निर्णय व डिक्री दिनांक 7.12.2022 को पारित किया गया वह निरस्त योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 133/2022 (2022/333) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.12.2022 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 07 ने दौराने जवाब प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सीपीसी पर कथन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य अपीलांट/प्रार्थीगण द्वारा जिस प्रकार एवं जिस उददेश्य से उल्लेखित किए गए है, पूर्णतया असत्य, निराधार एवं दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने से अस्वीकार है, चूंकि अपीलांट/प्रार्थीगण द्वारा तथाकथित पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 26.05.1993 के आधार पर खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पत्र संख्या 24/2006 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसे दोनो पक्षों को सुनवाई व साक्ष्य का सम्पूर्णतः अवसर प्रदान किए जाने के उपरांत आदेश दिनांक 15.12.2011 द्वारा निरस्त फरमा दिया गया, इस प्रकार अपीलांट/प्रार्थीगण द्वारा मिथ्या व्यपदेशन कर वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुए याचित अनुतोष हेतु

Scanned with CamScanner

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। वर्णित तथ्य अपीलांट/प्रार्थीगण द्वारा जिस प्रकार एवं जिस उदेश्य से उल्लेखित किए गए है, पूर्णतया असत्य, निराधार एवं कपोल–कल्पित होने से अस्वीकार है, अपीलांट/प्रार्थीगण प्रकरण में वर्णित विवादित भूमि के ना तो कभी रेकार्डेड खातेदार काबिज काश्तकार रहे है, तथा ना ही किसी प्रकार से कोई हक अधिकार व आधिपत्य निहित रहा है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व वाद संख्या 133/2022 प्रस्तुत किए जाने की तिथि तथा उससे पूर्व से ही रेस्पोडेंट/अप्रार्थी संख्या 07 विधिवत खातेदार एवं काबिज काश्त होने से धारा 211 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में उल्लेखित विधिक प्रावधानों के तहत खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत वाद पत्र में विधिसम्मत रूप से पक्षकार संयोजित किया गया। इस प्रकार अपीलांट/प्रार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.12.2022 से ना तो व्यथित एवं प्रभावित पक्षकार है तथा ना ही आवश्यक पक्षकार है, ऐसी स्थिति में अपीलांट/प्रार्थीगण को राजस्व वाद संख्या 133/2022 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 7.12.2022 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत किए जाने की कोई लोकस स्टेण्डाई निहित नहीं होन से प्रार्थना पत्र अपीलांट/प्रार्थीगण निरस्त फरमाए जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 96 सीपीसी को निरस्त फरमाया जाकर अपील अपीलांट निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 07 ने दौराने जवाब/बहस में कथन किया कि मौजा बरल द्वितीय पटवार क्षेत्र बरल द्वितीय तहसील बिजयनगर में खसरा नम्बर 1984/878 रकबा 0.4469 हैक्टर भूमि स्थित है। उक्त भूमि के साबिक खसरा नम्बर 715 थे जो देवीलाल की भूमि थी जो राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2020–2023 में देवी के पुत्र तेजू हरजी बिलग एवं धन्ना व पोलू नाबालिग दर्ज चली आ रही थी तथा उक्त साबिक खसरा नम्बर 715 का रकबा 5–10–10 भूमि थी। वादीगण का सिजरा वाद पत्र की चरण संख्या 4 में अंकित है। उक्त भूमि को देवीलाल के चार पुत्रों का 1/4–1/4 हिस्सा निहित था किंतु हरजी एवं धन्ना का 1/2 हिस्सा धन्ना के वारिसान रमेश व अन्य ने खसरा नम्बर 1985/878 में प्लांट आवंटित करवा लिए जो भूमि वर्तमान में नगर पालिका, बिजयनगर के नाम दर्ज चली आ रही है, किंतु राजस्व कर्मचारियों की गलती के करण से खसरा नम्बर 1984/878 में तेजू के नाम दर्ज होकर तथा तेजू के मरणोपरांत उनके वारिसान गोकल व सोरत के नाम दर्ज हो गई तथा गोकल नाऔलाद फौत हो चुका है, इसलिए उक्त विवादित भूमि का सम्पूर्ण हिस्सा सोरत के पास चला आ रहा है। जबकि प्रतिवादीगण का भी उक्त विवादित भूमि में हिस्सा चला आ रहा है, तथा उक्त भूमि में प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त उपयोग उपभोग आज दिवस चला आ रहा है तथा प्रतिवादीगण ने वादीगण से राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करवाने हेतु दिनांक 26.09.2022 को निवेदन किया किंतु वह इंकार हो गया तथा विवादित भूमि को अन्यत्र बेंचान करने को आमादा हो गया। अतः विवादित भूमि में प्रतिवादीगण को भी वादीगण के साथ खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा जो वादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज चली आ रही है उसे निरस्त किया जावें तथा वादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे विवादित भूमि को बेचान हस्तांतरण नहीं करें तथा प्रतिवादीगण के चल आ रहे कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करे। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण के वाद पर

Scanned with CamScanner

प्रतिवादी संख्या 01 ने सहमति जवाब दावा पेश किया और कथन किया इसे ही साक्ष्य के रूप में पढ़ा जावे। वाकै ग्राम बरल द्वितीय तहसील विजयनगर के खसरा नम्बर 1984/878 रकबा 0.4469 है0 में जो प्रतिवादी संख्या 01 व मृतक गोकल का नाम दर्ज चला आ रहा है उसे विलोपित किये जाकर तथा उक्त भूमि में वादीगण को 1/2 हिस्से व प्रतिवादी संख्या 1 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकारी घोषित किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है। अभिभाषक अपीलांट ने बिना प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41नियम 27 जा.दी. प्रस्तुत किये ही अपील के साथ दस्तावेजात पेश किये है जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है तथा प्रस्तुत दस्तावेजात को नहीं पढ़ा जावे। विवादित आराजी बाबत् जो वाद प्रस्तुत किया गया जिसमें धारा 211 राज.काश्तकारी अधिनियम के मुताबिक आवश्यक पक्षकारों को संयोजित किया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार के इस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1से 06 ने दौराने जवाब/ बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. में कथन किया कि विवादित आराजी में अपीलांट का किसी प्रकार हक व अधिकार नही है तथा ना किसी प्रकार से पीड़ित पक्षकार है इसलिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. खारिज किया जावे।

9. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 06 ने दौराने जवाब/बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 07 द्वारा अपील पर की गई बहस को ही हमारी बहस मानी जावें। अपीलांटस के द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

10. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 में किए गए कथनों के अनुसार विवादित भूमि प्रार्थीगण के पिता द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से भूमि क्रय की थी, जिसमें स्वयं गोकल ने अपना हिस्सा बेचान किया था तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करते समय वाद में हितबद्ध पक्षकार देवी पुत्र मोडा के वारिसान को संयोजित ही नहीं किया गया। गोकल एवं सोरत द्वारा देवी पुत्र मोडा के पक्ष में एक विक्रय –पत्र निष्पादित किया गया था जो विक्रय पत्र दिनांक 26.5.1993 का पंजीकृत है जिसमें स्वयं गोकल और सोरत ने अपना हिस्सा बेचान किया था, उक्त विक्रय पत्र आजदिनांक तक शून्य नहीं हुआ है। अतः प्रार्थीगण उक्त प्रकरण में आवश्यक, हितबद्ध एवं पीडित पक्षकार होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 स्वीकार योग्य है। **अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. को स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीगण/अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।**

11. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि गोकल एवं सोरत द्वारा देवी पुत्र मोडा के पक्ष में एक विक्रय –पत्र निष्पादित किया गया था जो विक्रय पत्र दिनांक 26.5.1993 का पंजीकृत है जिसमें स्वयं गोकल और सोरत ने अपना हिस्सा बेचान

Scanned with CamScanner

किया था, तथा उक्त विक्रय पत्र आज दिनांक तक प्रभाव में है उक्त रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र की पालना में अपीलार्थीगण के पक्ष में नामांतरकरण संख्या 2373 तस्दीक हो चुका है, नामांतकरण संख्या 2373 को लेकर अपीलांटस व रेस्पोडेटस के मध्य संभागीय आयुक्त, अजमेर के न्यायालय में नजरसानी विचाराधीन है इसी वादग्रस्त भूमि को लेकर रेस्पोडेंट के पूर्वजों के मध्य सिविल न्यायालय में वाद चला उक्त वाद के जवाब में रेस्पोडेंट के पूर्वजों द्वारा अपीलांट के पूर्वजों के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र होना व वादग्रस्त भूमि का कब्जा होना स्वीकार किया है तथा उक्त विक्रय–पत्र आदिनांक तक शून्य नही हुआ है। रेस्पोडेंट 1 से 6 ने तथ्य छुपाते हुए अधीनस्थ न्यायालय में राजस्व वाद 133/2022 प्रस्तुत किया है उक्त वाद में अपीलांट को जानबूझकर पक्षकार मुर्तिब नहीं किया केवल मात्र रेस्पोडेंट संख्या 7 को पक्षकार मुर्तिब कर आपस में दुर्भिसंधि कर आदेश प्राप्त किए। उपरोक्त कारणों से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 7.12.2022 विधि सम्मत प्रतीत नहीं होने से निरस्त किए जाने योग्य है, तथा अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 133/2022 (2022/333) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.12.2022 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा को इस आशय से प्रतिप्रेषित की जाती है, कि वे निर्णय में दिए गए उपरोक्त समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपीलांटस को राजस्व वाद में पक्षकार संयोजित कर उनसे जवाब प्राप्त कर, जवाब पर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर साक्ष्य लेकर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें व उक्त वाद से संबंधित वाद सिविल न्यायालय में विचाराधीन होने से उक्त आदेश सिविल न्यायालय के आदेश के अध्याधीन रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

13. निर्णय आज दिनांक 18.05.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner